न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 33/2019 (2019/00124)

अनवान

1. पवन कुमार जैन पुत्र स्व0 चान्दमल
2. संगीता जैन धर्मपत्नि पवन कुमार

समस्त जाति जैन निवासीगण मदनगंज–किशनगढ, तह0 किशनगढ जिला–अजमेर।

.........अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार किशनगढ जिला–अजमेर। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री मौहम्मद इकबाल — अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक – 26.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मदनगंज–किशनगढ तहसील किशनगढ जिला–अजमेर के पुराने खसरा नं0 517 रकबा 25–02–00 में से 02–10–00 बीघा भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के पत्र कमांक–रेवेन्यू/आई(एन)107. 7009 दिनांक 9 दिसम्बर 1964 के द्वारा कारखाना स्थापित करने हेतु श्री चान्दमल एण्ड कम्पनी को आवंटित की गई थी। जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में जरिये नामान्तरकरण सख्या 240 दिनांक 23.8.1966 इन्द्राज चान्दमल एण्ड कम्पनी की बजाय चान्दमल पुत्र छीतरमल के नाम किया गया। प्रश्नगत आराजी के हाल खसरा नं0 734 कायम किये गये है। चान्दमल पुत्र छीतरमल के स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा पत्र दिनांक 10.7.2019 से लीजडीड दिनांक 14.12.1964 के अनुसार चान्दमल एण्ड कम्पनी दर्ज कराने के लिए सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। तदनुसार उक्त नामान्तरकरण को दुरूस्त करवाया जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मदनगंज–किशनगढ तहसील किशनगढ जिला–अजमेर के पुराने खसरा नं0 517 रकबा 25–02–00 में से 02–10–00 बीघा भूमि जिला कलक्टर, अजमेर के पत्र कमांक–रेवेन्यू/आई(एन)107. 7009 दिनांक 9 दिसम्बर 1964 के द्वारा कारखाना स्थापित करने हेतु श्री चान्दमल एण्ड कम्पनी को आवंटित की गई थी। जिसका राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23.8.1966 के जरिये चान्दमल एण्ड कम्पनी की बजाय चान्दमल पुत्र छीतरमल इन्द्राज किया गया। प्रश्नगत आराजी के हाल खसरा नं0 734 कायम किये गये है। चान्दमल पुत्र छीतरमल का स्वर्गवास दिनांक 3.06.2011 को होने के पश्चात चान्दमल एण्ड कम्पनी के अन्य पार्टनर द्वारा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार किशनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

D.Sharma

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

गया। जिस पर तहसीलदार किशनगढ के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23.8.1966 में हुई त्रूटि की जानकारी पत्र दिनांक 10.7.2019 से देते हुए लीजडीड दिनांक 14.12.1964 के अनुसार चान्दमल एण्ड कम्पनी दर्ज करवाने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के निर्देश प्रदान किये गये। निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16.7.2019 को आक्षेपित नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया गया। जिस पर दिनांक 16.7.2019 को नकल प्राप्त होने पर अन्य दस्तावेजात के अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाकर मय मियाद प्रार्थना पत्र के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुति में हुई, देरी सद्‌भाविक है। लिहाजा विलम्ब को क्षमा कराते हुए अपील, अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23.8.1966 के कॉलम संख्या 11 में चान्दमल पुत्र छीतरमल के स्थान पर चान्दमल एण्ड कम्पनी दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23.8.1966 के विरूद्ध अपील हेतु नियमानुसार 30 दिवस की मियाद निर्धारित है। लेकिन अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अपील करीब 45 वर्षो की लम्बी अवधि गुजरने के बाद पेश की गई है, जो लम्बी अवधि से मयाद बाहर होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हाल ही में होने के अपीलान्ट के कथन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील, अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उभय पक्ष के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट की अपील नामान्तरकरण संख्या 240 दिनांक 23.8.1966 के विरूद्ध है, जो कि उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के लगभग 53 वर्ष की लम्बी अवधि गुजरने के पश्चात पेश की गई है। इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन करने सम्बन्धी कोई ठोस युक्तियुक्त न्यायोचित आधार हमारे समक्ष प्रकट नहीं है। उनका यह कथन कतई संतुष्टि योग्य नही है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल ही में हुई। अतः अपील, अपीलान्ट ताबे उज्र मियाद होने से खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner